संख्या–797/12–5–2019–सा0–01/2019

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 13 जुलाई, 2019

विषयः–किसानों की आय बढ़ाने हेतु "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) योजना का लाभ समस्त पात्र किसानों को देने के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–6/2019/07–भा0स0/12–5–2019–सा–01/2019 दिनांक 05.02.2019, शासनादेश संख्या–08/2019/204/12–5–2019–सा–01/2019 दिनांक 06.02.2019 तथा शासनादेश संख्या –37/2019/55– भा0स0/12–5–2019–सा–01/2019, दिनांक 11.06.2019 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है।

2– उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ 1–4/2019–एफडब्ल्यूएस–।।, दिनांक 07.06.2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अवगत कराना है कि कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–1–1/2019 केडिट।, दिनांक 01.02.2019 द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों की आय बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत 02 हे0 कृषि योग्य भूमि धारक किसानों को योजना का लाभ दिये जाने के लिए शासन के पत्र संख्या–6/2019/07–भा0स0/12–5–2019–सा0–01/2019, दिनांक 05.02.2019 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र संख्या–एफ 1–4/2019–एफडब्ल्यूएस–।।, दिनांक 07.06.2019 द्वारा संशोधित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) योजना के अन्तर्गत 02 हे0 कृषि योग्य भूमि की सीमा को समाप्त करते हुए सभी पात्र किसानों को लाभ देने का निर्णय लिया गया है। पात्रता की अन्य शर्ते कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.02.2019 के अनुसार तथा शासन के पत्र संख्या–6/2019/07–भा0स0/12–5–2019–सा0–01/2019, दिनांक 05.02.2019 के प्रस्तर–14 में दी गयी गाइड लाइन्स के अनुसार यथावत रहेंगी।

4– भारत सरकार के पत्र दिनांक 07.06.2019 में योजनान्तर्गत जोत की सीमा को हटाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके आधार पर अब संस्थागत भू–स्वामी एवं अपात्रता हेतु चिन्हित 6 श्रेणियों के कृषकों को छोड़ते हुए, अन्य सभी कृषक परिवार योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है।

5– उपरोक्त प्रस्तर–4 के अनुसार उच्च आय वर्ग की सीमा वाले निम्नलिखित कृषक परिवारों को योजना हेतु अपात्र घोषित किया गया है :–

(a) संस्थागत भूमिधारक

(b) निम्नलिखित श्रेणी के कृषकों के परिवारों को भी इस योजना के लाभ हेतु अपात्र घोषित किया गया है :–

(1) भूतपूर्व अथवा वर्तमान में असंवैधानिक पदधारक

(2) भूतपूर्व अथवा वर्तमान मंत्री/राज्यमंत्री एवं भूतपूर्व/वर्तमान सदस्य लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधान परिषद, भूतपूर्व/वर्तमान नगर महपालिका के मेयर, भूतपूर्व/वर्तमान जिलापंचायत अध्यक्ष

(3) केन्द्र व राज्य के कार्यालय/विभागों के समस्त सेवानिवृत्त/कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी तथा राज्यएवं केन्द्र सरकार के सहायतित अर्द्धसरकारी संस्थान तथा सरकार से सम्बद्ध समस्त कार्यालय एवं स्वायत्तशासी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक एवं मल्टीटास्किंग कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी/समूह (घ) के कर्मचारियों को छोड़कर)

(4) समस्त सेवानिवृत्त पेंशनधारक, जिनकी मासिक पेंशन रूपए 10 हजार या उससे अधिक है। (चतुर्थ श्रेणी/समूह (घ) के सेवानिवृत्त पेंशनर्स को छोड़कर)।

(5) पेशेवर डाक्टर, इंजीनियर,अधिवक्ता,चार्टर्ड एकाउन्टेंट व आर्कीटेक्ट आदि जो संबंधित पेशे के लिए पंजीकरण करने वाली संस्था में पंजीकृत हैं और अपना पेशा कर रहे हैं।

(6) लाभार्थी कृषक द्वारा विगत कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया गया है।

6– अतः आवश्यक है कि खतौनी के आधार पर प्रत्येक राजस्व ग्राम में कुल कृषकों की संख्या की गणना कर ली जाये तथा इनमें से संस्थागत भू–स्वामियों व योजना से अनाच्छादित श्रेणी (Exclusion criteria) के लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए पात्र कृषकों की संख्या स्थिर कर ली जाए।

7– योजनान्तर्गत वर्तमान में 04 माह की अवधि 31 जुलाई, 2019 को समाप्त हो रही है अतः योजना के लाभ से वंचित शेष पात्र कृषकों को ससमय लाभ प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक विवरण एवं घोषणा पत्र को प्राथमिकता पर पूर्ण कराते हुए पूर्णतः शुद्ध/मान्य आकड़े पीएम–किसान पोर्टल पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही दिनांक 15.07.2019 तक सुनिश्चित कर ली जाए, जिससे शेष पात्र कृषकों को भी वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्रथम किश्त (01 अप्रैल, 2019 से 31 जुलाई, 2019 तक) की धनराशि समयान्तर्गत प्राप्त हो सके।

8– पात्रता निर्धारित करने हेतु भूलेख के दिनांक 01.02.2019 के डाटा को आधार माना जायेगा। इसके पश्चात भूलेख में विरासत के अतिरिक्त अन्य प्रकार से होने वाले परिवर्तन/संशोधन के आधार पर आगामी 05 वर्षो तक नये लाभार्थी नहीं बनाये जायेंगे।

9– वित्तीय वर्ष 2019–20 में योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तर से किसानों के डाटा कलेक्शन तथा पूर्व में संकलित डाटा के संशोधन को लेकर निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :–

(1) जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा अपनी लॉगिन से दो प्रकार के यूजर बनाये गये हैं, एक फीडिंग लॉगिन और दूसरा तहसील स्तरीय वैलिडेशन लॉगिन। यह दोनों लॉगिन नियमित कर्मचारियों का विवरण भरते हुए तैयार की जानी थी, ताकि जिम्मेदार कार्मिकों द्वारा डाटा फीड कराया जा सके। लॉगिन में जो भी विवरण एवं मोबाइल नम्बर भरा जाय उसमें पूर्ण सावधानी बरती जाय। गलत विवरण के आधार पर कोई भी लॉगिन क्रिऐट न की जाय। किस लॉगिन से, कौन सा डाटा किसके द्वारा फीड किया जा रहा है, इसकी मॉनीटरिंग सिस्टम द्वारा किये जाने की व्यवस्था है ताकि डाटा सावधानी पूर्वक अभिलेखों के आधार पर फीड हो सके। PM-KISAN फीडिंग लॉगिन जनपद में विभिन्न स्तर पर संकलित हो रहे डाटा की फीडिंग के लिए है, जबकि तहसील स्तरीय लॉगिन राजस्व विभाग के नामित कार्मिकों द्वारा डाटा के वैलिडेशन के लिए है। जनपद स्तरीय लॉगिन से डाटा फीड होने के पश्चात जैसे ही फीडिंग लॉगिन पर लॉक किया जाता है, वह डाटा तहसील स्तरीय लॉगिन पर वेलिडेशन के लिए उपलब्ध हो जाता है। तहसील स्तरीय लॉगिन पर राजस्व कर्मी द्वारा भू–लेख तथा घोषणापत्र आदि अभिलेखों के आधार पर जैसे ही किसान को पात्र और अपात्र किया जायेगा, वह डाटा मुख्यालय पर प्रथम स्तरीय परीक्षण के लिए उपलब्ध हो जायेगा। प्रथम स्तरीय परीक्षण के पश्चात मुख्यालय डाटा सेन्टर द्वारा आवश्यक फिल्टर लगाते हुए जनपदीय उप कृषि निदेशकों को उनकी लॉगिन पर डिजिटल हस्ताक्षर हेतु डाटा उपलब्ध कराया जायेगा। उप कृषि निदेशक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करने से पूर्व एक बार डाटा का पुनः परीक्षण किया जाता है, तदोपरान्त पात्र लाभार्थियों का डाटा डिजिटल हस्ताक्षर के साथ मुख्यालय डाटा सेन्टर भेजा जाता है। मुख्यालय डाटा सेन्टर द्वारा उप कृषि निदेशक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से PDF

फाइल की XML फाइल बनाते हुए PM-KISAN पोर्टल पर भुगतान की अग्रिम कार्यवाही हेतु भारत सरकार को अग्रसारित कर दिया जाता है।

(2) उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत ही PM-KISAN के लाभार्थियों का डाटा भुगतान हेतु भारत सरकार को भेजा जा रहा है, किन्तु मुख्यालय डाटा सेन्टर तथा भारत सरकार स्तर पर विभिन्न फिल्टर में अलग–अलग कमियों के कारण रोके गये डाटा तथा भारत सरकार से वापस प्राप्त हुए डाटा के सुधारोपरान्त की जाने वाली कार्यवाही पर जनपद स्तर से स्पष्ट प्रक्रिया की जानकारी चाही गयी है। जिसके क्रम में बिन्दुवार स्पष्ट प्रक्रिया निम्नवत है:–

(a) **नये डाटा की फीडिंग:**

जिन लाभार्थी किसानों का डाटा PM-KISAN योजना के निर्धारित मानकों के अनुसार अभी तक फीड नहीं हुआ है उनका डाटा घोषणापत्र के साथ संकलित कर PM-KISAN फीडिंग लॉगिन से फीड कराया जायेगा। तत् पश्चात उसे तहसील लॉगिन से पुनः जांचते हुए लॉक किया जायेगा। तहसील स्तर पर डाटा लॉक होने के उपरान्त उक्त प्रस्तर–1 में निर्धारित प्रक्रिया से भारत सरकार को भुगतान के लिए अग्रसारित किया जायेगा।

(b) **फिल्टर में रोका गया डाटा:**

निर्धारित पैटर्न के अनुसार आधार नम्बर न होने, बैंक खाता निर्धारित पैटर्न पर न होने, इनवैलिड नाम होने, डाटा डुप्लीकेट होने इत्यादि कारणों से सिस्टम द्वारा फिल्टर कर रोके गये डाटा में PM-KISAN फीडिंग लॉगिन से सुधार कर डाटा लॉक कराया जायेगा। तत्पश्चात उसे तहसील लॉगिन पर परीक्षण कर वैलिडेट एवं लॉक किया जायेगा और उक्त प्रस्तर–1 में दी गयी व्यवस्थानुसार मुख्यालय द्वारा भुगतान के लिए अग्रसारित किया जायेगा।

(c) **PFMS वैलिडेशन में फेल डाटा:**

भारत सरकार को डाटा प्रेषित करने के पश्चात उसे भुगतान हेतु PFMS (Public Finance Management System) से वैलिडेट कराया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि भुगतान हेतु प्रस्तावित बैंक खाता उपलब्ध है या नहीं एवं IFSC का कोड सही है या नहीं। यदि इन दो बिन्दुओं पर कमी पायी जाती है, तो उसे PFMS द्वारा भुगतान के लिए फेल मार्क कर डाटा वापस कर दिया जाता है। इस डाटा में सम्बन्धित बैंकों से जनपद स्तर पर IFSC कोड तथा लाभार्थी का बैंक खाता मिलान कराते हुए शुद्ध कराया जाना है और PM-KISAN लॉगिन पर फीड कर लॉक करना है। यह डाटा पुनः तहसील लॉगिन पर वैलिडेशन के लिए नहीं भेजा जायेगा क्योंकि इससे लाभार्थी के भूमि सम्बन्धी तथा अन्य विवरण में कोई परिवर्तन नही होना है। इसे मुख्यालय द्वारा लॉक करते हुए जनपदीय उप कृषि निदेशक को डिजिटल हस्ताक्षर हेतु भेजा जायेगा। तत्पश्चात आगे की प्रक्रिया पूर्ववत प्रस्तर–1 के अनुसार रहेगी।

(d) **PFMS में भुगतान हेतु सफल डाटा में नाम मिसमैच परीक्षण:**

जिन लाभार्थियों का विवरण बैंक खाता सं0, IFSC तथा PFMS द्वारा सही पाया जाता है उनका विवरण बैंक खाते में उपलब्ध नाम के साथ पुनः परीक्षण के लिए PFMSद्वारा मुख्यालय को वापस किया जाता है। मुख्यालय स्तर से उसे बैचवार, जनपदों को पुनः मिलान के लिए जनपदीय उप कृषि निदेशक की लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाता है। उक्त डाटा को जनपदीय उप कृषि निदेशक लॉगिन पर ही नाम का परीक्षण कर पात्र या अपात्र मार्क कर लॉक करना होता है। यह डाटा न तो फीडिंग लॉगिन पर जाता है और न ही तहसील वैलिडेशन लॉगिन पर। इसे जनपद स्तर पर लॉक करने के पश्चात मुख्यालय द्वारा पुनः

भुगतान प्रक्रिया में ले लिया जाता है और अन्तिम रूप से FTO(Fund Transfer Order) के साथ भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जाता है।

(e) **पति और पत्नी दोनो का डाटा फीड होने की दशा में:**

यदि पति और पत्नी दोनों किसान है और दोनों का डाटा संकलित हो चुका है, तो योजना की गाइड लाइन के अनुसार परिवार में केवल एक सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे मामलों में महिला किसान को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए तथा दूसरे सदस्य को अपात्र किया जाना चाहिए। इसके लिए सिस्टम में पृथक अपात्रता का क्राइटेरिया शामिल कर लिया जाय।

(f) **किसान के मृत्यु होने पर:**

यदि किसान की मृत्यु हो गयी है तो उसके खाते में योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। उसकी वरासत कराकर परिवार के अन्य सदस्यों को लाभ दिया जाना चाहिए। तब तक पोर्टल पर "(मृतक अपात्र) समाधान वरासत हेतु लम्बित" श्रेणी में डाला जाना चाहिए।

(g) **लाभार्थी के गांव तथा तहसील की LG Code मैपिंग के अनुसार सही न होना:**

योजना के प्रथम चरण में जनपदीय अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के गांव तथा तहसील गलत मैप कर दी गयी है, जिससे डाटा के सत्यापन में उस गांव में किसान के न पाये जाने पर किसान को अपात्र कर दिया जा रहा है। चूँकि पूर्व में गांव और तहसीलों की LG Code के अनुसार सही मैपिंग नहीं की गयी और उस गांव के लाभार्थियों को पात्र दर्शाते हुए उन्हें योजना का लाभ दे दिया गया। इसलिए उस डाटा को शुद्ध करने के लिए भारत सरकार द्वारा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। जिसके तैयार होने पर तदनुरूप पोर्टल पर लाभार्थी का गांव रीमैप कर शुद्ध करने की व्यवस्था बना दी जायेगी। तब तक गांव के मिस मैप होने के कारण किसी पात्र लाभार्थी को अपात्र नहीं किया जाय।

(h) **आधार अथेन्टीकेशन:**

तृतीय किस्त के भुगतान के लिए किसानों का आधार अथेन्टीकेशन अनिवार्य रूप से किया जाना है। इसीलिए यह आवश्यक है कि लाभार्थी के आधार का विवरण शुद्ध भरा जाये ताकि लाभार्थी को मिलने वाली योजना के लाभ से वन्चित न होना पड़े। योजना के प्रथम चरण में आधार इनरोलमेन्ट नम्बर अंकित कराते हुए भी योजना का लाभ दिया गया था, किन्तु अब योजना का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। अतः ऐसे सभी लाभार्थी जिनका पूर्व में आधार नम्बर के स्थान पर आधार इनरोलमेन्ट नम्बर लिया गया था उनका आधार नं0 प्राप्त कर पोर्टल पर फीड कराया जाय।

(i) **सुधार के पश्चात भी अशुद्ध पाया गया डाटा:**

सुधार के लिए भेजे गये डाटा को अब समाधान हेतु लम्बित नहीं रखा जाना है। उसको परीक्षण कर पात्र या सम्बन्धित श्रेणी में अपात्र किया जाय। यदि सुधार के उपरान्त भी फिल्टर में पुनः डाटा अशुद्ध पाया जाता है या लाभार्थी अपात्र पाया जाता है तो उसे बार–2 सुधार के लिए न भेजा जाय, उसे अन्तिम रूप से पोर्टल से डिलीट कर दिया जाय।

(j) **अभिलेखों का रख–रखाव:**

पूर्व में संकलित लाभार्थियों के अभिलेख जो शासनादेश के अनुसार तहसील के अभिलेखागार में सुरक्षित रखे गये हैं। यदि उन लाभार्थियों के डाटा में कोई संशोधन होता है तो उससे सम्बन्धित अभिलेख लाभार्थी के पूर्व से संकलित अभिलेख के साथ रखे जाय।

कृपया पूर्व में निर्गत शासनादेश कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के उक्त पत्र दि0 07.06.2019 तथा योजना की गाइड लाइन के आलोक में उपर्युक्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

13.7.19

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

o/c

संख्या–797(1)/12–5–2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उनके उपर्युक्त पत्र दिनांक 07.06.2019 के सन्दर्भ में।
2– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
5– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0शासन।
9– कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10– निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, लखनऊ।
11– समस्त उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

13/7/19

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

o/c